न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—356/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00289)

1. प्रियंका सिंह बेवा स्व. सिद्धार्थ सिंह पुत्री श्री पी.पी.सिंह निवासी 11/498 भवानीसिंह लेन, आलू फैक्ट्री के पीछे, 22 गोदाम, सी—स्कीम, जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हेमन्त सिंह पुत्र स्व. श्री शान्तनु कुमार, जाति जाट, आयु 42 वर्ष, निवासी फिरदौज फार्म जोन—सी बाईपास, कालवाड़ रोड़, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती प्रमिला कुमारी धर्मपत्नी स्व. श्री शान्तनु कुमार, जाति जाट, आयु 64 वर्ष, निवासी फिरदौज फार्म जोन—सी बाईपास, कालवाड रोड़, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 09.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 29.08.2017 (प्रकरण संख्या 72/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 378, 379/2, 380, 383/1, 383/3, 384/1, 377, 385/2 कुल किता 8 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 956/1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कालवाड, तहसील व जिला जयपुर में स्व. शान्तनु कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह, जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रही है, उक्त भूमि स्व. शान्तनु कुमार जी की पुश्तैनी भूमि थी तथा उपरोक्त भूमि के अलावा स्व. शान्तनु कुमार जी की खसरा नम्बर 956 रकबा 59 बीघा 12 बिस्वा में से एक तिहाई हिस्सा, पटवार हल्का कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 09.09.1998 से क्रय की थी, स्व. शान्तनु कुमार ने यह भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के धन से क्रय की थी, स्व. शान्तनु कुमार एक ईमानदार व निष्ठापूर्ण अधिकारी थे एवं उनकी स्वयं की अर्जित आय के द्वारा वे यह भूमि खरीदन में सक्षम नही थे, पुश्तैनी भूमि में से कुछ भाग सरकार द्वारा जोन—सी बाईपास हेतु आवाप्त किया था जिसका मुआवजा शान्तनु कुमार ने प्राप्त किया था इसके अलावा शान्तनु कुमार को उनके पुश्तैनी भूमि से कृषि दुग्धपालन एवं अन्य आय प्राप्त होती थी। अतः शान्तनु कुमार जी ने जो भूमि अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी वह भी उन्होने संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की भूमि के आय स्त्रोत से क्रय की है जिसमें मिन अपीलार्थीया का बतौर सह हिस्सेदार हित निहित है, शान्तनु

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

कुमार जी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1998 के जरिये जो भूमि क्रय की थी उसे भी संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की कॉमन हॉच पॉच में डाला गया था और सदैव इसी प्रकार माना गया था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि के मुत्तालिक तहसीलदार जयपुर द्वारा स्व. श्री शान्तनु कुमार की विरासत उनकी बेवा श्रीमती प्रमिला कुमारी, पुत्र श्री हेमन्त सिंह व पूर्व पुत्र की विधवा श्रीमती प्रियंका के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 16.09.2011 को प्रदान किये गये थो, तदोपरान्त रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 23.01.2012 को एक फर्जी वसीयत दिनांक 11.02.2010 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की व तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की, तहसीलदार जयपुर ने आदेश दिनांक 09.02.2012 के जरिये मृतक शान्तनु कुमार की विरासत श्रीमती प्रमिला कुमारी व श्री हेमन्त के नाम दर्ज करने हेतु संशोधित आदेश जारी कर दिया, उक्त आदेश दिनांक 09.02.2012 से व्यथित होकर मिन अपीलार्थी ने एक अपील संख्या 36/2012 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा आदेश दिनांक 06.11.2013 के जरिये स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09. 02.2012 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करें तथा न्यायालय श्रीमान् के उक्त निर्णय दिनांक 06.11.2013 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक अपील 7255/2013 उनवानी प्रमिला वगैरह बनाम प्रियंका व अन्य प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 18.08.2015 के जरिये खारिज फरमाया एवं न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2013 को यथावत कायम रखा गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपील की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि शान्तनु कुमार के पिता स्व0 लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज भूमि थी और लक्ष्मण सिंह जी के मृत्यु उपरान्त इस भूमि का नामान्तरकरण शान्तनु कुमार जी के नाम खुला था, नामान्तरकरण से सम्बन्धित कार्यवाही मात्र फिस्कल प्रोसिडिन्स है तथा पक्षकारों के भूमि में स्वत्व व हित का निर्णयाक प्रमाण नही है, शान्तनु कुमार जी के जीवनकाल में ही इस भूमि में अपीलार्थी प्रियंका के पति स्व. श्री सिद्धार्थ का हित निहित था, सिद्धार्थ सिंह जी की मृत्यु दिनांक 08.05.2001 को होते ही मिन अपीलार्थी प्रियंका का हित इस भूमि में बतौर हिस्सेदार हो गया, इस प्रकार अपीलान्ट इस भूमि में हिस्सेदार है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. श्री शान्तनु कुमार जी की वसीयत फर्जी है क्योंकि वसीयत में शान्तनु कुमार द्वारा अपनी पुत्रवधु का पुर्नविवाह करना बताया है किन्तु पुर्नविवाह किससे हुआ यह तक भी अंकित नही है वास्तविकता यह है कि शान्तनु कुमार जी के पुत्र सिद्धार्थ सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी शान्तनु कुमार जी का अपनी विधवा पुत्रवधु प्रियंका सिंह से अच्छे सम्बन्ध थे तथा उनका अपनी पुत्रवधु के प्रति विशेष स्नेह व सहानुभुति थी, स्व. श्री शान्तनु कुमार जी ने अपने पुत्र की मृत्यु उपरान्त भी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपनी पुत्रवधु प्रियंकासिंह पर आर्शिवाद बनाये रखा, वे मिन अपीलान्ट के सामाजिक आयोजनों में व केरियर बनाने में भी शिरकत करते रह है, ऐसी परिस्थितियों मे प्रियंका सिंह को वसीयत मे बेनिफिश्यिरी ना बनाना वसीयत को संदेहस्पद साबित करता है। उन्होने आगे कथन किया है कि शान्तनु कुमार जी ने अपनी पुत्रवधु मिन अपीलार्थीया की पेंटिग एक्जीबीशन ऑर्गेनाईज कराने मे मदद की थी व दिनांक 09.09.2005 को वहॉ पधरे भी थे इसलिये यह कहना पूर्णतया गलत है कि शान्तनु कुमार जी के अपनी पुत्रवधु से कभी भी सम्बन्ध विच्छेद हुये थे, शान्तनु कुमार जी के अपनी पुत्रवधु से सदैव मधुर सम्बन्ध रहे है तथा वे अपीलीर्थी प्रियंका सिंह को अपनी पुत्री समान मानते थे एवं इस फर्जी वसीयत मे जिस शब्दावली में यह कहना बताया है कि शान्तुनु कुमार जी की जानकारी के मुताबिक शायद मिन अपीलार्थी का पुर्नविवाह हो गया है, स्वयं इस वसीयत को फर्जी साबित करता है। उन्होने कथन किया है कि वसीयत फर्जी है यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि वसीयत को सर्वप्रथम देरिना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और आधार बनाया गया, अगर वसीयत वास्तविकता में अस्तित्व में होती तो वसीयत को फर्स्ट इन्स्टांस में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता किन्तु इस तथाकथित वसीयत को गुप्त रखा गया व किसी भी स्तर पर न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है, यह तथ्य अपने आप यह साबित करता है कि यह वसीयत फर्जी बनावटी व आफ्टर थॉट का परिणाम है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल तक से मिन अपीलार्थी के हक में आदेश पारित होने के बावजूद भी मात्र न्यायिक प्रक्रिया अवरोध पारित करने के लिये एवं मिन अपीलार्थी को उसे जायज हक से महरूम करने के लिये प्रत्यर्थीगण ने जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है, प्रत्यर्थी की अपील प्रोंग्डन्याय के सिद्धान्तों से प्रतिबंधित है, संभागीय आयुक्त व राजस्व मण्डल के समक्ष प्रत्यर्थी ने अपने अभिकथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की, जो साक्ष्य प्रस्तुत की वह अविश्वानीय रही, न्यायालय द्वारा पूर्व में हस्तगत पक्षकारों के मध्य अपील विषयवस्तु के मुत्तलिक जो अभिमत पारित किया है वह न्यायालय पर बाध्यकारी था ऐसी परिस्थतियों में प्रत्यर्थी की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही थी। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने जवाब अपील प्रस्तुत किया था, आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के जवाब का जिक्र तक नही है एव ना ही अपीलार्थी के जवाब में वर्णित तथ्यों व आधारों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कन्सीडर किया गया। उन्होने कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल के फैसले के बाद तहसीलदार जयपुर ने मात्र आदेश की अनुपालना की थी जिसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक मस्तिष्क अप्लाई किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को यह कहकर प्रतिप्रेषित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक के समस्त प्रथम श्रेणी वारिसान की जॉच कर उनको सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 18.08.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

2015 की पालना में हिस्से अनुसार नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें जबकि तहसीलदार द्वारा पहले ही आदेश दिनांकित 07.01.2016 से अनुपालना कर दी थी एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुरूप ही आदेश पारित किया था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि स्वीकृत रूप से सम्पूर्ण विवाद शान्तनु कुमार जी की एस्टेट का है, शान्तनु कुमार जी के देहान्त के बाद उक्त अपीलार्थी उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस में आती है एवं तहसीलदार ने शान्तनु कुमार जी की एस्टेट को पक्षकारान के मध्य बराबर हिस्से में विभाजित किया था जिसमें कोई त्रुटि नही थी किन्तु जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 से जो कि विवाद राजस्व मण्डल से अंतिम रूप से निस्तारित होकर अंतिम व एब्सलूट हो गया था उसे पुनः प्रारम्भ कर दिया गया जो प्रर्मिसिबल नही था इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1036 पर पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध अपील मय प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा सर्वप्रथम अपील के अन्तर्गत मियाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक था तत्पश्चात् अपील के गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा स्वयंभू बनकर मियाद के बिन्दु को नजरअन्दाज करते हुए अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने में कानूनी भूल की है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय न्यायिक व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा अपील संख्या 72/2016 उनवानी हेमन्त व अन्य बनाम प्रियंका सिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 को खारिज फरमाया जावें तथा तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1036 पर पारित निर्णय दिनांक 07.01.2016 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करे जिससे अपीलार्थी अपने हक व हिस्से एवं खातेदारी की आराजीयात मे से महरूम ना हो सके एवं अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी स्व. श्री शान्तनु कुमार की स्वअर्जित आराजी है तथा स्व. श्री शान्तनु कुमार जी का देहान्त हो चुका है तथा श्री शान्तनु कुमार जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत दिनांक 10.04.10 रेस्पोडेन्ट के हक में की गई तथा उक्त वसीयत फर्जी नुमाईशी या सत्य व सही है, ये सब तथ्य केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही तय होने है। उन्होने कथन किया है कि श्री शान्तनु कुमार के पुत्र श्री सिद्धार्थ सिंह का विवाह श्रीमती प्रियंका से हुआ था, परन्तु दिनांक 08.05.2001 को श्री सिद्धार्थ सिंह का देहान्त हो जाने क पश्चात् श्रीमती प्रियंका ने एक अन्य व्यक्ति श्री अवीश सिंह पुत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कर्नल पृथपाल सिंह तत्समय निवासी गुडगांव से दिनांक 28.05.2002 को ही विवाह स्थल महारानी पैलेस, जयपुर में पुर्नविवाह कर लिया और वह श्री अवीश सिंह के साथ रहने लगी, ऐसी स्थिति में प्रियंका सिंह का श्री शान्तनु कुमार के परिवार से पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद हो गया और जब दिनांक 08.12.2010 को श्री शान्तनु कुमार का देहान्त हुआ तब रेस्पोडेन्ट हेमन्त सिंह तथा श्रीमती प्रमिला कुमारी ही श्री शान्तनु कुमार के एकमात्र उत्तराधिकारी हुये परन्तु फिर भी तहसीलदार जयपुर ने श्री शान्तनु कुमार की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में भी तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 06.11.2013 के अपने निर्णय में मात्र यह ही निर्देश दिये थे कि तहसीलदार जयपुर आराजी विवादित अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करें और माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने दिनांक 18.08.2015 के अपने निर्णय में मात्र उक्त निर्णय को ही बहाल रखा है जिसके अनुसार भी तहसीलदार जयपुर के लिये यह आवश्यक था कि वे दोनों पक्षें को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही यह निर्णित करते कि वे किस पक्षकार का भूमि विवादग्रस्त में कितना हिस्सा है लेकिन तहसीलदार जयपुर द्वारा उक्त बाध्य निर्देशों की पालना किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 1036 तस्दीक किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 07.01.2016 को नामान्तरकरण संख्या 1036 तस्दीक किया उसमें यह अंकित ही नही किया है कि कौन–कौन व्यक्ति मृतक श्री शान्तनु कुमार के कानूनी उत्तराधिकारी है तथा उनका संयुक्त कृषि जोत में कितना–कितना हिस्सा व अधिकार है। उन्होने यह भी कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत मृतक की विरासत में पुत्र, पुत्री, पत्नी एवं माता प्रथम श्रेणी के वारिस होते है इसके बावजूद भी तहसीलदार जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1036 तस्दीक किये जाने में मृतक सिद्धार्थ सिंह की माता का नाम प्रथम श्रेणी वारिसान में नही जोड़ा गया है, इस प्रकार मूल प्रश्न पर विचार किये किये बिना ही तहसीलदार जयपुर ने दिनांक 07.01.2016 को जो नामान्तरकरण संख्या 1036 तस्दीक किया है, वह पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक नियमित वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम जयपुर के समक्ष उनवानी हेमन्त सिंह बनाम प्रियंका सिंह विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट प्रियंका सिंह उपस्थित हो चुकी है तथा नियमित दावे के विचाराधीन होने के दौरान नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता, परन्तु फिर भी तहसीलदार जयपुर ने नामान्तरकरण संख्या 1036 तस्दीक किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.11.2013 से विवादित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करने के आदेश दिये गये है तथा उक्त आदेश को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 18.08. 2015 से बहाल रखा गया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत मृतक की विरासत मे पुत्र, पुत्री पत्नी व माता प्रथम श्रेणी की वारिस होते है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक स्व. श्री सिद्धार्थ सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान एवं उनके हिस्से की पुनः जांच किया जाना वाजिब समझते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर को मृतक के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान की जांच एवं उनको सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 18.08.2015 की पालना में हिस्से अनुसार नये सरे से प्रकरण का एक माह की अवधि में विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर